कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद पौड़ी/रूद्रप्रयाग
ई–मेल–cfocmi.ukfs@gmail.com

पत्रांक न–10/सीएफओ–RPG/26 दिनांकः–जुलाई 24, 2026

स्वामी/प्रबन्धक,
M/S- KENDRIYA VIDHYALAYA AGUSTYAMUNI
DISTRICT RUDRAPRAYAG

विषयः– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के (Periodic/Annual Clearance Fire NOC) के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर– - 90507361 दिनांक 14.07.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रूद्रप्रयाग द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन रूद्रप्रयाग की निरीक्षण आख्या दिनांकः– जुलाई 14, 2026 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोष जनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक विद्यालय है। भवन 02 तल में निर्मित है। भवन/संस्थान की ऊचांई 06 मी0 है। भवन/संस्थान में बेंसमेंट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासनगृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-(39) 2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर 2021 के अनुपालन में 24 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2029 (03 वर्ष) तक के लिए उपकरणों की कार्यशीलता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत किया जाता है तथा निम्न शर्तों का पालन किया जाना नितान्त आवश्यक होगाः–

01. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखें जाये।
02. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रो का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
03. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील रखनें की जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबंधन को अग्नि रोधक उपाय सदा करते रहना चाहिए।
04. भवन/संस्थान के विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी सैट बैक एरिया व निर्माण Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बधित अधिकारी से कराया जाए।
05. इस अनापति प्रमाण–पत्र कि उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
06. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
07. यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र से संबन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
08. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एंव राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(राजेन्द्र सिंह खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पौड़ी /रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः–
प्रभारी फायर स्टेशन रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।